



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1003]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2019/फाल्गुन 15, 1940

No. 1003]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2019/ PHALGUNA 15, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2019

का.आ.1137(अ).—खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 12 जनवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ०97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

(1) सारणी-2 में, क्रम संख्या 2 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 12013/01/2019-क्यू०ए०]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का०आ०97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:-

- (1) का०आ० 3695 (अ), तारीख 20 नवंबर, 2017;
- (2) का०आ० 3827 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2018; और
- (3) का०आ० 696(अ), तारीख 31 जनवरी, 2019।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi the 21st February, 2019

S.O. 1137(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 97(E) dated the 10th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) on 12th January, 2017, namely: —

(1) In TABLE – 2, serial number 2 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 12013/01/2019-QA]
PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 97 (E), dated the 10th January, 2017 and subsequently amended vide

- (i) S.O. number 3695(E), dated the 20th November, 2017;
- (ii) S.O. number 3827(E), dated the 31st July, 2018; and
- (iii) S.O. number 696(E), dated the 31st January, 2019.